भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ई–न्यूज़लैटर

फरवरी **2021**

डॉ. पीडी वाघेला, अध्यक्ष, भादूविप्रा को सचिव, औषध विभाग के पद पर रहते हुए कोविड–19 के दौरान, जरूरी चिकित्सा उत्पादों की आपूर्ति की व्यवस्था करने में उनके असाधारण नेतृत्व एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया।

1. सिफारिशें

1.1 आईपी–I पंजीकरण के स्कोप का विस्तार करने के संबंध में भादूविप्रा की दिनांक 13 मार्च, 2020 की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के लिए भादूविप्रा का 11 जनवरी, 2021 का उत्तर

भादूविप्रा ने 'अवसंरचना प्रदाता श्रेणी–I (आईपी–I) पंजीकरण के स्कोप का विस्तार करना' के संबंध में 13 मार्च, 2020 को सिफारिशें जारी की थी।

इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

1) देश में टेलीग्राफ की वर्तमान जरूरत को पूरा करने के लिए अवसंरचना प्रदाता श्रेणी– I (आईपी–I) पंजीकरण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए।

2) कोई भी सेवा प्रदाता, जिसके पास देश के किसी भी भाग में दूरसंचार सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक टेलीग्राफ को स्थापित करने, बनाए रखने और काम करने के लिए भारत सरकार से प्राधिकार प्राप्त है, केवल आईपी-I पंजीकरण धारकों से पट्टे/किराये/खरीद आधार पर इस तरह के टेलीग्राफ अवसंरचना को प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

3) आईपी-I पंजीकरण के विस्तारित दायरे में ऐसी सभी बुनियादी मदों, उपकरणों, और प्रणालियों को स्थापित करने, बनाए रखने और काम करने को शामिल होना चाहिए जो वायरलाइन एक्सेस नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन), और ट्रांसमिशन लिंक स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं। हालाँकि, इसमें कोर नेटवर्क घटक जैसे स्विच एमएससी, एचएलआर, आईएन आदि शामिल नहीं होंगे। आईपी-I पंजीकरण के दायरे में ये शामिल होने चाहिए मगर ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं जैसे भारत में कहीं भी राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, ऑप्टिकल फाइबर, टॉवर, फीडर केबल, एंटीना, बेस स्टेशन, इन–बिल्डिंग सॉल्यूशन (आईबीएस), वितरित एंटीना प्रणाली (डीएएस) ।

4) आईपी-I पंजीकरण धारक को भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 के तहत लाइसेंस के आवेदन करने और लाइसेंस जारी करने का पात्र होना चाहिए, जिसके पास ऐसे वायरलेस टेलीग्राफी उपकरण हैं, जिन्हें आईपी-I पंजीकरण के दायरे में अनुमति दी गई है। हालांकि, आईपी-I पंजीकरण धारक किसी भी प्रकार के लाइसेंस प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए आवेदन करने और असाइन करने के पात्र नहीं होने चाहिए।

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 18 नवंबर, 2020 के पत्र में उल्लेख किया है कि इन सिफारिशों को तैयार करने के लिए भादूविप्रा के मूल आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 11 नवंबर, 2013 के निर्णय और टीडीसैट के दिनांक 5 जुलाई, 2018 के निर्णय के दृष्टिगत पुनर्विचार किया जाए। दूरसंचार विभाग ने यह भी कहा कि इन निर्णयों से प्रतीत होता है कि सेवा प्रदाताओं, जिनके पास दूरसंचार विभाग के दिशानिर्देशों के तहत आईपी–I पंजीकरण है, पर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 के तहत लाइसेंसधारियों के रूप में विचार नहीं किया जाए।

प्राधिकरण ने अपने उत्तर में माननीय उच्च न्यायालय और माननीय टीडीसैट के संबंधित निर्णयों, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधानों, रो (Row) नियमों आदि को उद्धृत करते हुए विस्तृत विश्लेषण दिया है और यह स्पष्ट करते हुए अपनी सिफारिशों को दोहराया है कि आईपी–I के तहत टेलीग्राफ अवसंरचना को स्थापित और बनाए रखने के मौजूदा स्कोप भातीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत लाइसेंस की एक श्रेणी है, जो पंजीकरण के माध्यम से निर्गत होती है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक/क्यूआर कोड का उपयोग करें:

https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendations_11012021.pdf

2. अन्य सूचना

2.1 31 दिसंबर, 2020 को दूरसंचार सब्सक्रिप्शन के आंकड़ें

विवरण	वायरलैस	वायरलाइन	योग (वायरलैस+वायर लाइन)
शहरी टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	629.67	18.24	647.91
ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	524.11	1.81	525.92
कुल टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	1153.77	20.05	1173.83
समग्र टेली–घनत्व (%)	84.90	1.48	86.38
शहरी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%)	54.57%	90.95%	55.20%
ग्रामीण सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%)	45.43%	9.05%	44.80%
ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	725.12	22.29	747.41

दिसंबर, 2020 में पीक वीएलआर की तिथि पर सक्रिय वायरलैस उपभोक्ताओं की संख्या 975.43 मिलियन थी।

दिसंबर, 2020 के दौरान, 8.20 मिलियन उपभोक्ताओं ने एमएनपी के लिए अनुरोध किए। एमएनपी सुविधा शुरू होने से लेकर दिसंबर, 2020 के अंत तक कुल 544.61 मिलियन उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं।

2.2 भादूविप्रा में ईऑफिस का क्रियान्वयन

भादूविप्रा ने 1 जनवरी 2021 को ईऑफिस को क्रियान्वित किया है। इस ईऑफ़िस प्लेटफार्म का उद्घाटन डॉ. पी डी वाघेला, अध्यक्ष, भादूविप्रा द्वारा किया गया था।

ईऑफिस का मुख्य उद्देश्य संगठन के आंतरिक कामकाज में प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना और अधिक कुशलता लाना है। कोविड–19 के दौरान यह महसूस किया गया कि कार्यालयों में कागज–पत्रों/फाइलों का कम से कम संचलन हर किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है।

ईऑफिस को लागू करने के साथ, भादूविप्रा काफी हद तक पेपरलेस संगठन बन गया है। इसको अपनाने से प्रशासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यह भौतिक फ़ाइलों के रख–रखाव और सुरक्षित रखने पर होने वाले खर्च को कम करेगा और फ़ाइलों से छेड़छाड़/फ़ाइलों के गुम होने के कारण होने वाली डेटा की हानि की संभावना को कम करेगा। यह अधिकारियों को "कहीं भी, कभी भी" फाइलों के निपटान की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे फाइलों और महत्वपूर्ण कागजात तक 24/7 पहुंच के साथ कार्य क्षमता में सुधार होगा। ईऑफिस के शुभारंभ के साथ, भादूविप्रा ने अपने कार्यों में अधिक पारदर्शिता लाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है ।

2.3 डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) की लेखापरीक्षा करने के लिए दिनांक 21 जनवरी 2021 का लेखापरीक्षकों का पैनल (अद्यतन सूची)

3. वेबिनार

3.1 भादूविप्रा द्वारा "डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा एवं बचाव" पर 29 जनवरी, 2021 को वेबिनार का आयोजन

भादूविप्रा ने "डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा एवं बचाव" पर 29 जनवरी, 2021 को एक वेबिनार का आयोजन किया।

वेबिनार का उद्‌घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईआईटी रुड़की के निदेशक डॉ. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने किया । श्री संजीव बंजाल सलाहकार, भादूविप्रा, नई दिल्ली, वेबिनार के विशेष अतिथि थे। सत्र का शुभारंभ श्री विनोद गुप्ता, सलाहकार, आरओ भोपाल के स्वागत भाषण से हुआ और इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा मुख्य भाषण दिया गया।

वेबिनार में डॉ. विरेश्वर कुमार, प्रोफेसर, आईआईटी दिल्ली; श्री उदय कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ डीडीजी, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली; और एस श्री निशीथ दीक्षित, अधिवक्ता एवं साइबर विधि सलाहकार, जयपुर द्वारा प्रस्तुतियां दी गई।

वेबिनार में संकाय सदस्यों, शोध विद्वानों और कई शैक्षिक संस्थानों के छात्रों, उद्योग संघों, उपभोक्ता पक्षसमर्थक समूहों के प्रतिनिधियों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, विभिन्न उपभोक्ता संघों के सदस्यों, सरकार और पब्लिक के अधिकारियों ने भाग लिय और वेबिनार के दौरान ज्ञानवर्धक चर्चा/संवाद ने कई लोगों को लाभान्वित किया ।

29 जनवरी 2021 को "डेटा गोपनीयता, सुरक्षा और बचाव" पर आयोजित वेबिनार

4. कार्यक्रम

4.1 जनवरी, 2021 के दौरान, निम्नलिखित ऑनलाइन उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए:

क्र. सं.	स्थान	तिथि
1	पुदुचेरी (यूटी)	21 जनवरी, 2021
2	गुजरात	22 जनवरी, 2021

फोटो दीर्घा

21 जनवरी, 2021 को पुदुचेरी में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी)

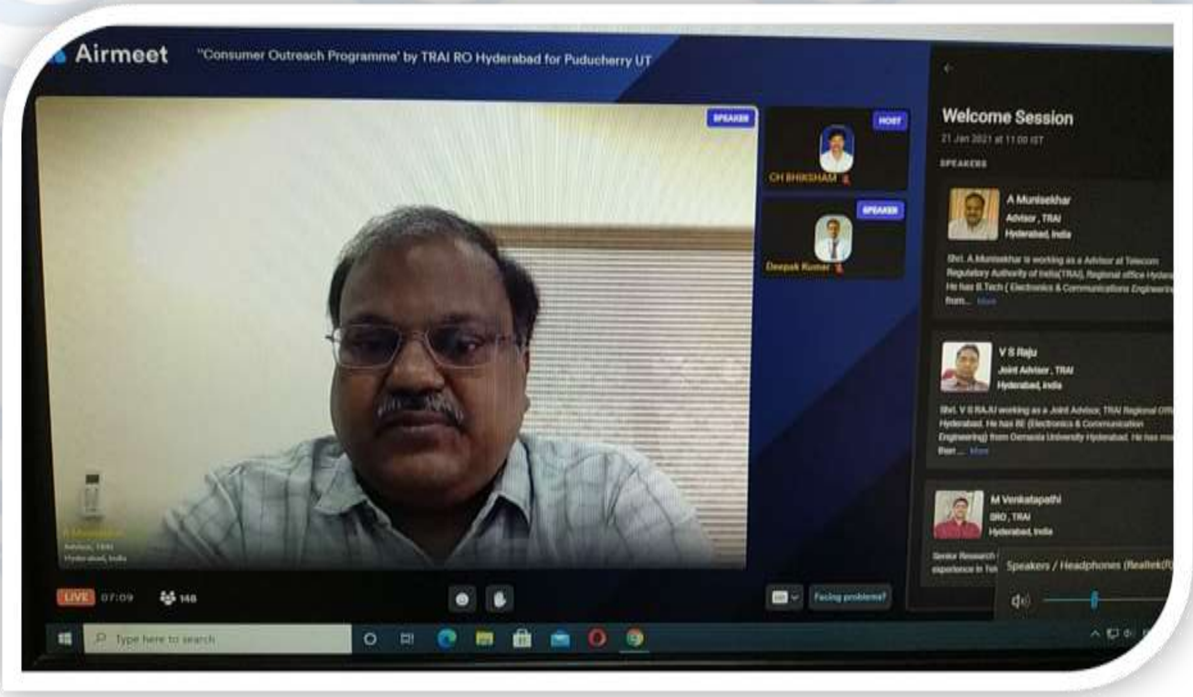

22 जनवरी, 2021 को गुजरात में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी)

इस न्यूजलैटर में उल्लिखित निर्देशों/आदेशों/परामर्श पत्र/रिपोर्ट, सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों आदि का पूरा विवरण भादूविप्रा की वेबसाइट ***www.trai.gov.in*** *पर भी उपलब्ध है।*

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, (पुराना मिंटो रोड़) नई दिल्ली–110002

हम फेसबुक पर भी हैं! आइये हमारे साथ!

https://www.facebook.com/TRAI/

हम ट्विटर पर भी हैं! आइये हमारे साथ! ***TRAI@TRAI***